

प्रारम्भिक डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला-उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री मोहन सिंह, R.A.S

उनवान

1. श्री पूरणमल पिता बंशीलाल सोनी निवासी आकोला तह. भुपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. श्री अनिल कुमार पिता पारसमल सहलोत निवासी आकोला तह. भुपालसागर जिला चित्तौडगढ।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री शोभालाल पिता रतनलाल लौहार निवासी दुंढिया तह. मावली।
2. श्री भागीरथ पिता रतनलाल लौहार निवासी दुंढिया तह. मावली।
3. श्री दीपक पिता रामचन्द्र लौहार नाबालिग बविलायत माता लालीबाई बेवा रामचन्द्र लौहार निवासी दुंढिया तह. मावली।
4. श्री प्रेमशंकर पिता रामचन्द्र लौहार नाबालिग बविलायत माता लालीबाई बेवा रामचन्द्र लौहार निवासी दुंढिया तह. मावली।
5. श्रीमती लालीबाई बेवा रामचन्द्र लौहार निवासी दुंढिया तह. मावली।
6. श्री सुरेशचन्द्र पिता मन्ना रेगर निवासी किर की चौकी तह. मावली।
7. श्रीमती कलादेवी पत्नी चुन्नीलाल कुम्हार निवासी किर खेडा तह. मावली।
8. राजथान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
9. पटवारी, पटवार हल्का दुंढिया तह. मावली।
10. श्री बाबुलाल पिता चमना कीर निवासी कीर की चौकी तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण


दावा बाबत :- 53, 188 रा.का.अधि.

मुकदमा नम्बर : 43/19 वाद

निर्णय दिनांक : 16.09.2019

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.09.2019 को मोहन सिंह, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रारम्भिक निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि - मौजा दुंढिया पटवार हल्का दुंढिया की आराजी न. 1656/2 किता 1 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित पक्षकारान के मध्य हिस्से एवं कब्जे के आधार पर बंटवाडा प्रस्तावित किया जावे। बंटवाडा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मावली को 500/- रूपया कमिश्नर शुल्क पर बंटवाडा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्तावित किया जावे। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित किया जावे। बंटवाडा सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस दो-दो प्रतियों में पेश किया जावे। रा. का.अधि. में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जावे। फीस कमिश्नर वादी मौके पर अदा करें।

यह आज तारीख 16.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली